

10/9/2021

पत्रावली काय मु-जायपुर में वकील कुशीलाह के प्राचीन-पत्र बाबत पत्रावली मृतवाह पर रहे पर पत्रावली मंगवाही गई।

कुशीलाह वकील की तरफ से एक कवरेज इंस्ट्रुमेंट काटेरा 22 निपिन 03 के बाबत बताया कि कुशीलाह सं. 1 भीलचंड का स्वर्गवाह हो चुका है जिनके कायम मुकाम का रिकॉर्ड पर लिखा जागा आवरण है। इस काटेरा पर पर रीपो. कायमका की कोर्ट कायम नहीं है। लिहाजा एके स्वीकार का फतक भीलचंड के कायम मुकाम 1/1 व 1/2 कपरा: कुशीलाह मुकाम अहेड मुकाम का रिकॉर्ड पर लिखा जागा है, एही तरह काटेरा के कुशीलाह सं. 7 जगदीश का देहांत हो जाने के जलाल कद इसके कायम मुकाम का भी रिकॉर्ड पर लिखा जागा जस्टी एड कत: कुशीलाह जगदीश की कोर्टवाही के कारण उसके विभिन्न वारिसा 7/1 व 7/2 कपरा: जस्टी मुकाम तथा श्यामलाल का रिकॉर्ड पर लिखे जाने के काटेरा लिखे जाते हैं, एही तरह कुशीलाह 6 फतक कोतपुवाहा के भी व्या. मु. का रिकॉर्ड पर लिखे जाया 6/1, 6/2 व 6/3 कपरा: के लारा मुकाम, दिनेश तथा शारदा का रिकॉर्ड पर लिखा जागा है। तदनुसार प्रस्तुत निशानों में शीवक भी रिकॉर्ड पर लिखे जाने के काटेरा लिखे जाते हैं।

*Handwritten signature and initials*  
 P.T.O



P.T.O  
 राजस्व अपील अधिकारी  
 बाड़मेर

10.9.2021

प्रार्थना-पत्र में इजीलॉ 14, 15 तथा 8 की भी प्रतीति है। इजीलॉ सं 14 के का-हुं जुजालनिगोए तथा इजीलॉ 15 बुन्नीलाल के का.हुं मिहरो देवी को रिवांड पर लिखा जाता है तथा इजीलॉ 8 मुतक उजाफकेदर के लिखिक वाणिज्य पूर्व में रिवांड पर है इजाफिक इनका नाम बिलोपिड लिखा जाता है। संशोधित शीर्षक तदनुसार रिवांड पर है।

अशोककुमार, महेशकुमार सि-भीलचंद्र, कलाश किशोर सि इतिहास प्रकाश, शारदा, लाल इतिहास, जुजालनिगोए प्र धेवचंद्र, मिहरो देवी बुन्नीलाल की तदनु सं श्री कपिल चौधरी ने उजाफिक देवी व्याजतनाम पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील इजीलॉ द्वारा एक प्रार्थना-पत्र को पेश किया जिस पर वकील रेपो० ने भी अनुपात व्यवस्था इसके दस्तावेज किए, यह प्रार्थना-पत्र सभी इजीलॉद्वारा के संयुक्त दस्तावेजों से वकील इजीलॉ श्री कपिल चौधरी ने पेश किया और इस अतिरिक्त पर इजीलॉ पक्षकारों के प्रारंभ दस्तावेज होने की तारीख की ओर अपनी इजाफिक में दस्तावेज माना जाये कि प्रार्थना-पत्र शामिल किया है।

अतिरिक्त पत्र में संशोधित शीर्षक में इजीलॉ 11, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 15/1, 16 17, 18, 19, 20 तथा 21 के दस्तावेज हैं और जिनका संशोधित अनुसंधान इतिहास-पत्र के पृष्ठ सं० 6 के अनुसार "पक्षकारों के प्रथम राजीनामा होने की वजह से कुछ एक इजीलॉ में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहनी है। अन्य जैसा राजीनामा यह इजीलॉ विद्रोहल खारिज की जाते। वकील इस पक्ष द्वारा दस्तावेज लेने इजीलॉ पक्ष (समाप्त) के दस्तावेजों में मुक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने से स्वीकार किया जाता है।

P.T. 0  
राजस्व अपील अधिकारी  
बाइमेर



राजस्व अपील अधिकारी  
बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अदालत जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

10.9.21

दिनांक: इसमें इसीलिए जाति राजीनामा  
विशेषकर कर लिये जाने से खारिज की  
जाती है। पत्रवली के तहत शुभारंभ होकर  
गैरकानूनी रूप से, बाड़मेर जिले  
दफ्तार है।

राजस्व अपील अधिकारी  
बाड़मेर

